

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
सं० सं०-२/क्षे० स्था०-१५-०७/२०१४

136
24.01.17

आदेश

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित अनुसेवक/रसोईया-सह-सेवक एवं चौकीदार को समान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-७४४३ दिनांक-३०.०६.२०११ में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्न वर्गीय लिपिक (वेतन बैंड-५२००-२०२००/एवं ग्रेड वेतन १९००/-) के पद पर प्रोन्नति दी जाती है।

| क्र० सं० | नाम/पदस्थापन जिला | वरीयता क्रमांक | योग्यता |
|----------|-----------------------------------|----------------|---------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | श्री कृष्ण चन्द्र दास, गया | ०२ | इंटर |
| २ | श्री राजेन्द्र पासवान, मुजफ्फरपुर | ०९ | मैट्रिक |
| ३ | श्री भगवान मंडल, अररिया | १३ | मैट्रिक |
| ४ | श्री शिवदानी पासवान, नालंदा | १४ | मैट्रिक |
| ५ | श्री जयनन्दन सिंह, पटना | १५ | मध्यमा |
| ६ | श्री राम ईश्वर सिंह, मुजफ्फरपुर | १७ | मैट्रिक |
| ७ | श्री ज्ञान शंकर पासवान, मुंगेर | २६ | मैट्रिक |
| ८ | श्री ललित कुमार मंडल, दरभंगा | २७ | स्नातक |
| ९ | श्री सुरेन्द्र प्रसाद, पटना | २९ | मैट्रिक |
| १० | श्री हरिनारायण महतो, सीवान | ३० | इंटर |
| ११ | श्री सुहासुत राम, बेगुसराय | ३१ | मैट्रिक |
| १२ | श्री अर्जुन पासवान | ३२ | इंटर |
| १३ | श्री कृष्ण बिहारी सिंह, भभुआ | ३३ | इंटर |
| १४ | श्री जितेन्द्र पासवान, पटना | ३४ | इंटर |
| १५ | श्री विजय कुमार पासवान, पटना | ३५ | मध्यमा |
| १६ | श्री मोजेलाल पासवान, पटना | ३६ | मैट्रिक |
| १७ | श्री कृष्ण कुमार, भभुआ | ३७ | मैट्रिक |
| १८ | श्री महेश प्रसाद, गया | ३८ | मैट्रिक |
| १९ | श्री मकरन्द्र कुमार, भभुआ | ४१ | इंटर |
| २० | श्री मनोज कुमार, पूर्णियाँ | ४२ | एम०ए० |
| २१ | श्री सुरज सदा, सहरसा | ४३ | इंटर |
| २२ | श्री मनोज कुमार साह, मुंगेर | ४४ | स्नातक |

| | | | |
|----|----------------------------------|----|---------|
| 23 | श्री आशुतोष कुमार, मुंगेर | 45 | मैट्रिक |
| 24 | श्री सुभाष राय, भभुआ | 46 | मैट्रिक |
| 25 | श्री जय शंकर मिश्र, मुंगेर | 48 | इंटर |
| 26 | श्री गजेन्द्र राय, मुजफ्फरपुर | 49 | मैट्रिक |
| 27 | श्री अमरेन्द्र कुमार यादव, सहरसा | 50 | एम0ए0 |

2-बिहार सेवा संहिता के नियम 58 में निहित प्रावधान के आलोक में प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

3-प्रोन्नत कर्मियों के पदस्थापन की कार्रवाई अलग से की जायेगी।

4-यह सशर्त औपबंधित प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस.एल.पी.(सी.) सं0-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

ज्ञापांक-2/क्षे0 स्था0-15-07/2014- 136

पटना, दिनांक- 23.01.17

प्रतिलिपि-सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-2/क्षे0 स्था0-15-07/2014- 136

पटना, दिनांक- 24.01.17

प्रतिलिपि-सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रधानाध्यापक, आवासीय विद्यालय/सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक